उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-24/2018/576 /दो-2-2018-28/2(22)/2017
लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 2018

<u>आदेश</u>

श्री विनोद कुमार सिंह, पी0सी0एस0-1992 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-70913 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री विनोद कुमार सिंह, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-18/मिलान डायरी-386 दिनांक 08-01-2018 के अनुसार वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-35,51,368/- (रू0-पैतीस लाख इक्यावन हजार तीन सौ अड़सठ मात्र) जिसमें माह 3/17 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-31,96,231.02 अर्थात रू0-31,96,231.00 (रूपये इकत्तीस लाख छियानबे हजार दो सौ इकत्तीस मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री विनोद कुमार सिंह के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- उपाध्यक्ष, मुजफफरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफफरनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री विनोद कुमार सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त पी0सी0एस0, तत्कालीन उपाध्यक्ष, मुजफफरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफफरनगर के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुज़फ़फरनगर।
[redacted] श्री विनोद कुमार सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह म0नं0-[redacted]5, कावेरी विहार, फेस-।, शमशाबाद रोड, आगरा (उ0प्र0) ।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in